© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 2 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

# महिलाएं राजनीतिक निर्णय निर्माण एवं शांति स्थापना

**Harish Kumar Yadav**
**Dipartment of Political Science**
**University of Allahabad**
**Prayagaraj**


## सारांश

सामान्यतः महिलाएं राजनीतिक निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया से बाहर निकाल दी जाती हैं, विशेषकर सशस्त्र संघर्ष से ग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापना की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका नाममात्र की होती है। महिलाएं, युद्ध, सुरक्षा और शांति के मध्य समीकरण परपरांगत रूप से अध्ययन का मुख्य विषय नहीं रहे हैं। महिला केन्द्रित आख्यान (त छंततंजपअमे) की अनुपस्थिति विद्वानों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए सहज ही प्रेरित करती है कि युद्ध लैंगिकता मुक्त (ळमदकमत तिमम) होते हैं।[1] जबकि तथ्य यह पुष्टि करते हैं कि युद्ध में लैंगिकता का अपना एक स्थान है। संघर्ष एवं युद्ध में महिला आख्यानों की अनुपस्थिति शांति स्थापना की प्रक्रिया में उनकी भूमिका भागीदारी को प्रभावित करती है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा स्वीकार किया गया महिला, शांति एवं सुरक्षा सम्बंधी संकल्प 1325 प्रासांगिक हो जाता है। जिसमें संघर्ष से सुरक्षा एवं संघर्ष से समाधान, शांतिवार्ता एवं संघर्ष के बाद पुर्नानिर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी की वकालत की गई है। लैंगिकता भी युद्ध एव शांति का एक पक्ष है। एक ऐसा पक्ष जिसकी अधिकांशतः अनदेखी हुई है। चूंकि संघर्ष के दौरान राज्य की भूमिका सुरक्षात्मक नीतियों एवं रणनीतिक उपायों का केन्द्रीय मुद्दा होती हैं। ऐसे में नेतृत्व एवं नीति निर्माण के उच्च स्तर पर महिलाओं की अनुपस्थिति नीतियों के निर्माण में उनके हितो अधिकारों एवं उनके दृष्टिकोण की अपेक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इस आलेख का मूल उद्देश्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना की प्रक्रिया में महिलाओं की अनुपस्थिति, राजनीतिक नीति निर्माण द्वारा शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी की महत्वता, संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा स्वीकृत महिला, शांति एवं सुरक्षा सम्बन्धी संकल्प 1325 की आवश्यकता एवं और राजनीतिक नीति निर्माण में महिलाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना है।


मुख्य बिंदु :– महिलाएं, सशस्त्र संघर्ष, लैंगिकता, शांति, सुरक्षा, नीति निर्माण, पितृसत्ता, नारीवाद

अपने मूल्यों, हितों एवं जरूरतों के विपरीत होने पर किए गए अथवा किये जाने वाले प्रतिरोध को हम संघर्ष के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। यह संघर्ष आंतरिक भी हो सकता है और वाहय भी। यह दो पक्षों के मध्य भी हो सकता है और बहुपक्षीय भी। राजनीतिक भाषा में कहें तो संघर्ष को हम युद्ध, क्रांति और अन्य संघर्षो के रूप में

परिभाषित कर सकते हैं जिसमें बल का भी प्रयोग होता है और यह संघर्ष सशस्त्र संघर्ष तक भी विस्तारित हो सकता है।

वैचारिक द्वंद, सामरिक प्रभुता, हितों का पोषण, शक्ति का निरंतर संवर्द्धन एवं संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष आदि सभी तत्त्व किसी भी संघर्ष की प्रकृति में समाहित विशिष्ट तत्त्व हैं। वर्तमान समय में विश्व पटल पर ऐसे सशस्त्र संघर्षों और विवादों की कमी नहीं है जहाँ इन संघर्षों के दौरान एवं उसके पश्चात् भी मानवता के विरूद्ध हिंसक कृत्यों को अंजाम दिया गया और दिया जा रहा है विशेषकर महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा चिंताजनक है और यह देखना और भी विडंबनापूर्ण है कि संघर्ष के पश्चात् शांति प्रक्रिया तथा अन्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया से महिलाओं को सहज ही बाहर रखा जाता है। दुनियाभर में व्याप्त संघर्षों विशेषकर सशस्त्र संघर्षों में हमें यह देखना है कि इसमें महिला कहाँ हैं ? संघर्ष, निर्णय निर्माण एवं शांति प्रक्रिया में उसकी भूमिका एवं प्रस्थित क्या है?

**सशस्त्र संघर्ष और महिलाएं :–**

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हमेशा ही पुरूषों से कमतर एवं उनके अधीन मानी जाती हैं। अब ऐसे समाज में जहाँ सहज ही यह मान्यता स्वीकृत है कि महिलाएं पुरूषों के अधीन हैं वहाँ महिलाओं की प्रस्थित के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। विशेषकर तब जब वह क्षेत्र किसी सशस्त्र संघर्ष से जूझ रहा हो तब वहाँ महिलाओं की भूमिका एवं उनकी स्थिति के बारे में सहज ही कल्पना की जा सकती है। संघर्षरत क्षेत्रों में महिलाओं को एक भोग की वस्तु के तौर पर देखा जाता है। महिलाएं सशस्त्र संघर्ष के दौरान हिंसा के केन्द्र में रहती हैं।

युद्ध अथवा सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में सबसे प्रमुख हिंसा होती है शारीरिक अथवा यौन हिंसा। ''जहाँ भी युद्ध एवं संघर्ष होते हैं वहाँ बलात्कार एवं यौन हिंसा के मामले होना भी स्वाभाविक ही है।''[2] किन्तु यह कृत्य स्वाभाविक है ''ऐसा मानकर हम इसमें निहित हिंसा एवं इससे सम्बन्धित अन्य अमानवीय पक्षों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। महिलाओ की देह पर नियंत्रण करना युद्ध नीति का ही एक हिस्सा होता है जिससे तीन उद्देश्य सधते हैं– **पहला–** आम नागरिकों में भय का संचार, **दूसरा**– नागरिकों का विस्थापन और **तीसरा–** सैनिकों को बलात्कार की छूट देकर पुरस्कृत करना।[3] महिलाएं प्रायः इस कारण से यौन हिंसा का शिकार बनायी जाती हैं क्योंकि वह किसी विशेष नृजातीय, राष्ट्र और विशेष धार्मिक समूह से सम्बन्ध रखती हैं।[4] ''सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्रों में जहाँ बलात्कार को सम्बन्धित महिला के समाज के सम्मान और मूल्यों पर प्रहार के समान माना जाता है।''[5] वहीं दूसरी तरफ बलात्कार की शिकार महिला बार–बार अपने साथ हुई निर्मम यौन हिंसा की मानसिक तौर पर शिकार होती हैं क्योंकि अधिकांश समाजों में विशेषकर दक्षिण एशियाई समाज में बलात्कार को एक कलंक के तौर पर देखा जाता है। राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी ऐसे मामलों को अनदेखा कर दिया जाता है। ''सांस्कृतिक कलंक, भय, असुरक्षा, बदले की भावना जैसे कुछ कारक होते हैं जो यौन हिंसा से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने के प्रति हतोत्साहित करते हैं।''[6] जैसा की उर्वशी बुटालिया कहती हैं ''वह महिला ही होती है जो अपने समुदाय के सम्मान को अपने शरीर पर ढोती है। ऐसे में उसके शरीर को चोट पहुँचाकर जो कि अधिकांशतः बलात्कार के रूप में होता है, एक प्रकार की रणनीति होती है दूसरे समुदाय पर आघात करने की।''[7] यही कारण है कि विश्व में जहाँ भी युद्ध अथवा संघर्ष होते हैं वहाँ बलात्कार एवं महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार संरचनात्मक हिंसा

का अभिन्न अंग होता है। महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा अपने पीछे काफी कुछ ऐसा छोड़ कर जाती है जिससे इस हिंसा की शिकार महिलाएं कभी उभर नहीं पाती हैं। जैसे अनचाहा गर्भ और बच्चे।

बलात्कार के फलस्वरूप जन्में बच्चे युद्ध के चिह्न के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं नृजातीय अथवा जातीय शुद्धता के नाम पर महिलाओं को अनचाहा गर्भ धारण करने के लिए मजबूर किया जाता है। बोस्निया और हर्जेगोविना में बहुतायत संख्या में ऐसी महिलाओं को जेल में तब तक रखा गया जब तक की बच्चे का जन्म सुनिश्चित नहीं हो जाता था।[8] सन् 1994 में रवांडा में हुए जनसंहार के बाद लगभग 5000 ऐसे बच्चों ने जन्म लिया जो कि महिलाओं के साथ हुए बलात्कार का परिणाम थे।[9] विभिन्न शोधों द्वारा यह भी साबित हुआ है कि संघर्षरत क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति होने वाली यौन हिंसा के प्रत्यक्ष दुष्परिणाम के साथ–साथ अप्रत्यक्ष परिणाम भी होते हैं जो उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं। इनमें गर्भपात, अनचाहा गर्भ, यौन–रोग, तनाव, भय, अवसाद जैसे मानसिक रोग भी होते हैं।

सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की प्रस्थित का वर्णन करने के क्रम में कश्मीर संघर्ष में महिलाओं की दशा का उल्लेख जरूरी हो जाता है क्योंकि कश्मीर संघर्ष का सबसे पीड़ित पक्ष महिलाएं ही हैं।[10] यौन–हिंसा, शारीरिक हिंसा की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं ही होती हैं। यहाँ महिलाएं दोतरफा हिंसा झेलती हैं क्योंकि इनके प्रति हिंसा करने वालों में राज्यकर्ता भी होते है तथा गैर–राज्यीय कर्ता भी।[11] ष्भ्ंसर्ि पकवूष शब्द की उत्पत्ति कश्मीर में व्याप्त संघर्ष की ही उपज है। भ्ंसर्ि पकवू शब्द का जन्म घाटी में उन महिलाओं के लिए किया जाता है, जिनके पतियों को जाँच के नाम पर राज्य की सुरक्षा संस्थाओं ने अपनी हिरासत में तो ले लिया था किन्तु अर्सा बीत जाने के बावजूद न तो उनके जीवित होने का प्रमाण मिला और न ही उनके मृत होने की पुष्टि की गई। इसका असर न केवल उनकी मानसिक प्रस्थित पर अपितु आर्थिक, सामाजिक एवं कानूनी प्रस्थित को भी प्रभावित करता है।

जिस प्रकार भ्ंसर्ि पकवू शब्द की संकल्पना कश्मीर में व्याप्त संघर्ष की उपज है उसी भांति ब्वदसिपबज ॅपअमे की संकल्पना नेपाल में हुए सशस्त्र संघर्ष की देन है। ब्वदसिपबज ॅपअमे शब्द का प्रयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिनसे संघर्षरत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाबल उन पर मोहित होकर शादी तो करते हैं किंतु फौज के पलायन अथवा स्थानांतरण होने की दशा में बिना पत्नी को साथ लिए हमेशा के लिए छोड़ कर चले जाते हैं। इस कारण से नेपाल के ऐसे इलाको में जहाँ सशस्त्र संघर्ष के कारण फौजों का जमावड़ा है ऐसे घरों की संख्या बढ़ी है जहाँ महिलाएं 'एकल माता' ";पदहसम डवजीमतद्ध के रूप में अपने परिवार का पोषण कर रही हैं।

महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा कभी–कभी इन्हें आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए मजबूर अथवा प्रेरित करती हैं। विशेषकर जब इस हिंसा में राज्यकर्ता तत्त्व के रूप में सुरक्षाबल के लोग शामिल रहे हों। ''यौन हिंसा का बदला लेने का सबसे प्रमुख प्रमाण थी ''धनु''। भारतीय शांति सेना के कुछ जवानों द्वारा धनु के साथ बलात्कार किया गया जिसके पश्चात् धनु एल0टी0टी0ई0 में शामिल हो गई और 1991 में एक आत्मघाती मानवबम के रूप में उसने राजीव गांधी की हत्या कर दी।

तथ्य यह पुष्टि करते हैं कि युद्ध में लैंगिकता का अपना एक स्थान है। युद्ध और संघर्ष में जानबूझ कर महिला की देह को निशाना बनाया जाता है और महिलाओं के विरूद्ध ऐसी हिंसा करने वालों में राज्यकर्ताा और गैर राज्यीकर्ता दोनों ही शामिल होते हैं। यौन हिंसा में आतंकवादियों के साथ–साथ सुरक्षाबलों की संलिप्तता चिंता का

विषय है क्योंकि अधिकांश मामलों में यह बात स्पष्ट है कि सुरक्षाबलों द्वारा यौन हिंसा किए जाने के कारण पीड़ित महिला ने राज्य के ही विरूद्ध हथियार उठाने का निर्णय लिया और इस बात की पुष्टि 'धनु' के उदाहरण से होती है। धनु के अतिरिक्त नेपाल में हुए सशस्त्र संघर्ष में तमाम ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं जहाँ महिलाओं ने अपने तथा अपने परिवार के विरूद्ध होने वाली हिंसा के कारण राज्य के विरूद्ध हथियार उठाने का निर्णय लिया।

**शांति स्थापना एवं महिलाएं–**

प्रायः यह देखा जाता है कि महिलाएं हिंसा और शोषण के केन्द्र में तो रहती हैं किन्तु शांति स्थापना की प्रक्रिया से महिला एवं उनसे सम्बन्धित विषय सामान्यतः गौण रहते हैं। युद्ध और संघर्षो में तो महिलाएं पुरूषों के समान संख्या में पीड़ित नज़र आती हैं किन्तु जब बात संघर्ष समाधान अथवा शांति स्थापना की आती है तब महिलाओं की संख्या पुरूषों के बराबर तो दूर संतोषजनक संख्या में भी नहीं होती है। फिर बात चाहे नेपाल की हो जहाँ दशक भर लंबे चले सशस्त्र हिंसक नेपाली–माओवादी संघर्ष का अंत एक व्यापक शांति समझौते के साथ 2006 में हुआ। इसी के साथ एक नये नेपाल के निर्माण की कोशिशें प्रारम्भ हो गई। किन्तु यह देखना दुखद था कि पुर्ननिर्माण की इस प्रक्रिया में महिलाओं को उनका वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थीं।

इसी प्रकार कश्मीर में व्याप्त समस्या को हमेशा पुरूषवादी चर्चा के संदर्भ में देखा जाता है जबकि कटु सत्य यह है कि इस संघर्ष में सबसे पीड़ित पक्ष महिलाएं हैं किंतु कश्मीर समस्या समाधान पर होने वाली किसी भी औपचारिक वार्ता में हमें महिलाओं की उपस्थिति नज़र नहीं आती है।

सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में 4 श्भ्श मानव ;भ्नउंद ठमपदहद्धए मानव अधिकार ;भ्नउंद त्पहीजद्ध , मानव सुरक्षा ;भ्नउंद ैमबनतपजलद्ध तथा मानव विकास ;भ्नउंद क्मअसवचउमदजद्ध की समस्या एक बड़ी चुनौती की भांति खड़ी है। लैंगिकता आधारित हिंसा प्राथमिक तौर पर महिलाओं के लिए मानव सुरक्षा सम्बंधी चिंता है।

संघर्ष की इन समस्याओं के समाधान के रूप में महिलाओं की भागीदारी भी समान रूप में बगैर किसी लैंगिक भेदभाव के होनी चाहिए। उन्हें शोषित अथवा पीड़ित के स्थान पर एक समुदाय के तौर पर भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। घरेलू राजनीति के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में उनके दृष्टिकोण को उचित स्थान मिलना चाहिए जो कि अब तक उपेक्षित है।

विश्व के किसी भी क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्तर पर पितृसत्तात्मक संरचना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ऐसी संरचना में प्रायः महिलाओं से अपेक्षा रहती है कि वह गुणी तथा आज्ञाकारी रहें, पारिवारिक प्राथमिकताएं उनके लिए सर्वोच्च रहें। लैंगिकता  के स्तर पर भेदभाव का सीधा असर महिलाओं की प्रस्थित पर पड़ता है। और यही कारण है कि महिलाएं शांति प्रक्रिया का अभिन्न अंग होते हुए भी उसमें सक्रिय और प्रभावी भागीदारी से दूर कर दी जाती हैं। महिलाएं किसी न किसी रूप में दमन, शोषण एवं अधीनता की शिकार हैं और दमित, शोषित तथा अधीन वर्ग स्वतंत्रता, समानता और शांति का मूल्य एवं महत्त्व को कहीं ज्यादा समझता है। यह महिलाओं के शांति का बेहतर वाहक होने का **पहला** कारण है। **दूसरा–**महिला में ही वह क्षमता होती है कि वह एक नवीन जीवन की सृष्टि कर उसे संसार में लाती है और इस प्रक्रिया के दौरान वह जो कष्ट झेलती है उस कारण से वह जीवन का मूल्य पुरूष की तुलना में ज्यादा समझती है। **तीसरा–**पुरूषों की तुलना में महिलाओं में धैर्य अधिक होता

है तथा वह सामंजस्य बिठाना जानती है। महिलाओं के यह गुण संघर्ष प्रबंधन एवं शांति निर्माण में सकारात्मकता का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं।

अगर हम पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्ता प्रधान वाले समाज की तुलना करें तो दोनों के जीवन दर्शन में अंतर नज़र आता है जहाँ पितृसत्ता प्रधान समाज में व्यक्ति एक–दूसरे पर अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता है वहीं मातृसत्ता व्यवस्था का मूलमंत्र है जीवन को संरक्षित करने वाले कारकों को प्रोत्साहन देना और शांति इनमें से एक महत्त्वपूर्ण कारक है। संघर्ष के दौरान हिंसा को लेकर महिला एवं पुरूष दोनों के अपने–अपने अनुभव भिन्न होते हैं। ऐसे में संघर्ष के समाधान एवं शांति स्थापना की प्रक्रिया में महिलाओं को भागीदार बनाना प्राकृतिक न्याय के समान है। और इन सबसे बढ़कर महिलाएं भी मानव समुदाय में समान रूप से भागीदार हैं और उन्हें भी वह अधिकार प्राप्त होने ही चाहिए जो मानव को मानव होने के नाते प्रदान किए गए हैं। हमें 21वीं सदी की वास्तविकताओं के संदर्भ में इन समस्याओं के समाधान को समझने की आवश्यकता है। नारीवादी दृष्टिकोण भी यह स्पष्ट करता है कि विश्वशक्ति के उन्माद में परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि विश्व में स्थायी तौर पर शांति की स्थापना की जा सके। बदलते समय में यह आवश्यक है कि महिलाओं के दृष्टिकोण को भी इस क्षेत्र में शामिल किया जाए, वहीं इसके विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय हित, शक्ति, सुरक्षा इत्यादि लैंगिक तौर पर सापेक्ष हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी दृष्टिकोण का प्रयोग विवाद का विषय है। जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने–अपने तर्क हैं किन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी महिला को पीड़िता के रूप में देखा जाता है और समुदाय के सहभागी के रूप में शांति स्थापित करने में महिलाओं के दृष्टिकोण एवं उसके संभावित योगदान की अनदेखी हुई है।

**महिला, शांति और सुरक्षा सम्बंधी संकल्प एवं नीति निर्माण–**

प्रस्तुत आलेख के उपरोक्त वर्णनों में हमने देखा की महिला किस प्रकार सशस्त्र संघर्ष में सुनियोजित तरीके से हिंसा का शिकार होती है तथा किस प्रकार उसे शांति प्रक्रिया से अलग रखा जाता है साथ ही शांति प्रक्रिया में महिलाओं की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। लैंगिक असमानता न केवल भारत, अथवा दक्षिण एशिया की समस्या है अपितु यह विश्व के सबसे पिछड़े देशों से लेकर पूर्ण विकसित देशों में भी विद्यमान है। इसी कारण महिलाओं को आज तक समानता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव वाले क्षेत्रों में शांति निर्माण प्रक्रिया और नीति निर्माण संस्थाओं में तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा महिला, शांति और सुरक्षा सम्बंधी संकल्प 1325 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है और वह ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें संघर्ष समाधान एवं इसके रोकथाम तथा शांति स्थापना की प्रक्रिया में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हुए शांति एवं सुरक्षा को बनाये रखने तथा इसके विकास हेतु किये गये सभी प्रयत्नों में महिलाओं की पूर्ण सहभागिता एवं समान भागीदारी के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा यह संकल्प संघर्ष समाधान एवं इसके रोकथाम के संदर्भ में निर्णायक स्तर पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी भूमिका के विकास की आवश्यकता पर बल देता है। यह संकल्प इस बात को भी रेखांकित करता है कि शांति स्थापन प्रक्रिया में मुख्यतः लिंग परिप्रेक्ष्य में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। महिला शांति एवं सुरक्षा सम्बंधी यह प्रस्ताव सदस्य राज्यों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि तथा संघर्ष के समाधान,

प्रबंधन तथा रोकथाम हेतु संरचना के विकास के लिए प्रेरित करता है। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में यह संकल्प सशस्त्र संघर्ष से सम्बंधित सभी दलों से लिंग आधारित हिंसा, यौन दुर्व्यवहार के विविध स्वरुपों के साथ—साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान होने वाले हिंसा के विविध स्वरुपों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशिष्ट उपाय अपनाने का आह्वान करता है। वैसे तो इस प्रस्ताव में अट्ठारह मुख्य बिंदु है किन्तु अपने वृहद रूप में यह प्रस्ताव तीन बातों पर जोर देता है। **प्रथम—**शांति प्रक्रिया और निर्णय—निर्माण में महिलाओं की भागीदारी। **दूसरा—**महिला अधिकारों में वृद्धि, महिलाओं की जिम्मेदारी में वृद्धि कर उन्हें उत्तरदायी बनाना तथा विधिक संस्थाओं के निर्माण द्वारा लैंगिकता आधारित हिंसा को रोकना तथा उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। **तीसरा—** लैंगिक दृष्टिकोण को शांति प्रक्रिया में मजबूती से स्थापित करना।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत संकल्प 1325 सिद्धांतों में तो बेहद प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक नज़र आता है किंतु हकीकत में यह सिद्धांत उतने प्रभावशाली सिद्ध होते नहीं दिखते। इसका सबसे बड़ा कारण है सम्बंधित देशों की राजनीतिक व्यवस्था की संरचना पर पितृसत्ता का प्रभाव। कहने को तो महिलाएं समस्त जनसंख्या का पचास प्रतिशत हैं किंतु किसी भी संस्थान में उनकी भागीदारी संतोषजनक नहीं है। शायद इसका कारण यह है कि प्राचीनकाल से महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के लायक ही नहीं समझा गया। इसकी थोड़ी झलक हमें महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के विचारों में मिल जाती है जहाँ वह अपने आदर्श राज्य के लिए एक दार्शनिक राजा की कामना करता है। दार्शनिक रानी की नहीं। एक अन्य महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तू के विचारों में ''पुरूष प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ है और महिलाएं, बच्चे तथा दास पदसोपान की दृष्टि से पुरूष के अधीन हैं।[12] इसी प्रकार कई अन्य राजनीतिक चिंतकों ने भी सार्वजनिक जीवन से महिलाओं को अलग रखने को तर्कसंगत ठहराया है। महिला पर पुरूष की प्राकृतिक श्रेष्ठता सम्बंधी संकीर्ण विचार आज भी हमारे सामाजिक जीवन के साथ—साथ समाज की राजनीतिक व्यवस्था पर भी हावी है। यहाँ तक कि आधुनिक समय में भी कई स्थानों पर महिलाओं को आज भी मतदान करने तक का अधिकार प्राप्त नहीं है। महिलाओं द्वारा राजनीति में आज तक अपनी प्रस्थित के लिए संघर्ष जारी है। नारीवादी चिंतकों ने नारीवादी आर्थिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों का विस्तार किया है ताकि वह पुरूषोपित ढंग से निर्मित राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा सम्बन्धित संस्थाओं पर से पर्दा खींच सकें। इन चिंतकों का मानना है कि राज्य और बाज़ार का संचालन पुरूषों द्वारा किया जा रहा है और इस कारण यहाँ महिलाएं पुरूषों के अधीन कार्य करते हुए निर्णय—निर्माण में भागीदारी करने में असफल रही हैं। साथ ही साथ राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं आर्थिक और राजनीतिक कार्यों में महिलाओं द्वारा दिए जा रहे योगदान की उपेक्षा कर रहीं हैं जिसके फलस्वरूप उनके कार्यों का उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप दक्ष एवं योग्य होते हुए भी महिलाएं निर्णय—निर्माण में अपनी भूमिका से वंचित हैं। अगर हम आंकड़ों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार :

- ⇒ पूरे विश्व की विभिन्न संसदों में महिलाओं की कुल भागीदारी केवल 24 प्रतिशत है 28 नवम्बर 2018 तक जोकि 1995 में 11.3 प्रतिशत थी। इस लिहाज से यह वृद्धि संतोषजनक नहीं है।
- ⇒ जनवरी 2019 तक 11 महिलाएं बतौर राष्ट्रप्रमुख ;भ्मंक व"िजंजमद्ध एवं 10 महिलाएं बतौर कार्यपालिका प्रमुख ;भ्मंक व िळवअमतदउमदजद्ध अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन कर रही हैं।

⇒ रवाडा की संसद के निचले सदन में 61.3 प्रतिशत सीटों का प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

⇒ अब अगर हम क्षेत्रीय आधार पर संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत की बात करें तो यह अमरीका में 30:, नार्डिक देशों में 42ण्3:, यूरोप में 26ण्6:, सब–सहारा अफ्रीका में 23ण्6: , एशिया में 19.8, अरब राज्य में 17.8, प्रशांत क्षेत्र में 17: है।

निर्णय निर्माण की संस्थाओं में महिलाओं का प्रवेश केवल राजनीतिक रूप में नही अपितु ठोस रूप में उनके दृष्टिकोण को महत्व देने का है जिससे संघर्ष समाधान और शांति स्थापना की प्रक्रिया में एक संतुलन बना रहे जोकि कहीं ज्यादा दीर्घकालीन और प्रभावी होगा।

इसी प्रकार हम सरकार में शामिल महिलाओं की बात करें तो जनवरी 2017 तक विभिन्न सरकारों में महिला मंत्रियों की संख्या केवल 18ण्3: थी जिनमें से अधिकांश महिलाएं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा, सामाजिक मामले, शिक्षा तथा परिवार जैसे मंत्रालयों का उत्तरदायित्व निभा रही थीं।

**निष्कर्ष–**

युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में एक रणनीति के तहत महिला की देह को निशाना बनाया जाता है। किसी भी रूढ़िवादी समाज में महिला पर हुए यौन–हिंसा के कृत्य को परिवार एवं पुरूष की प्रतिष्ठा और उसके पौरूष से जोड़कर देखा जाता है। फलस्वरूप महिला के सम्मान को पुरूष नियंत्रित करते हैं जोकि पितृसत्ता को और संकीर्णता की ओर ढकेलती है।

सामान्यतः सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित सेना क्षेत्र उच्च सैन्यीकृत होते हैं। सेनाओं का इस तरह का जमावड़ा सम्बन्धित क्षेत्र के समाज के मन में एक प्रकार का डर पैदा कर देता है विशेष कर महिलाओं के मन में। शायद इसका एक कारण यह भी है कि सेना को पितृसत्ता और पुरूषत्व का ऐसा संगम माना जाता है जिसमें महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझने की प्रवृत्ति छुपी होती है। महिलाओं के प्रति यौन हिंसा करने वालों में राज्यकर्ता और गैर–राज्यकर्ता दोनों ही शामिल होते हैं। किंतु राज्य पर लगा प्रश्नचिह्न ज्यादा गम्भीर है क्योंकि राज्य का गठन अपने नागरिकों के लिए हुआ है। राज्य को शक्ति और वैधता इसलिए प्राप्त है क्योंकि वह अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार एवं उनकी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होता है। ऐसे में अगर राज्य के सुरक्षाबल हिंसा विशेषकर महिलाओं के प्रति यौन हिंसा में भागीदार बनते है तो पीड़ित महिला कभी–कभी राज्य के विरुद्ध ही हथियार उठा लेती है। नेपाल के संघर्ष में विभिन्न शोध इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ जितनी भी महिलाओं के साथ यौन–हिंसा हुई उनमें से अधिकांशतः ऐसे समुदाय से सम्बन्ध रखती थी जो हर प्रकार से हाशिए पर पड़ा था यथा भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक। यह कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र तक राज्य अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा है। '' जैसा कि मीया ब्लूम ;डपं ठसववउद्ध भी इस बात पर जोर देती है कि किसी भी महिला को संघर्ष की तरफ जाने के लिए पाँच ‘ तत्त्व उत्प्रेरक का कार्य करते है। **पहला–** प्रतिशोध ;त्मअमदहमद्धए **दूसरा–** मुक्ति ;त्मकमउचजपवदद्धए **तीसरा–** सम्बन्ध ;त्मसंजपवदेीपचद्धए **चौथा–** सम्मान ;त्मेचमबजद्धए **पांचवा–** बलात्कार ;त्ंचमद्ध ।[13]

यौन हिंसा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो श्रीलंका के उत्तरी इलाकों से तमिल टाइगरों द्वारा 75,000 मुस्लिमों को बलात् विस्थापित किया गया किंतु इस दौरान किसी भी प्रकार की यौन हिंसा नहीं हुई।[14] कई सूत्रों ने इस बात

की पुष्टि की कि एल0टी0टी0ई0 ने अपने लड़ाकों को सफलतापूर्वक इस प्रकार प्रशिक्षित किया था कि उनके द्वारा किसी के साथ बलात्कार करने की कोई खबर नहीं आई।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब राज्य की तुलना में बेहद कम संसाधनों के मध्य एक आतंकवादी संगठन अपने सदस्यों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है तो राज्य क्यों नहीं? क्या राज्य के प्रशिक्षण व्यवस्था में कोई खामी है? अथवा युद्ध में महिलाओं के प्रति हिंसा का प्रयोग राज्य द्वारा भी एक रणनीति के तहत किया जाता है?

युद्ध व संघर्ष की संकल्पना एवं स्वरूप महिलाओं को अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का मौका देता है किंतु संघर्ष में भागीदारी करने वाली महिला इस संकल्पना एवं स्वरुप को निर्मित करने में सहायता देती है। इसी कारण से सुरक्षाबलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर बलात्कार को रणनीति के रूप में प्रयोग करने की सोच से बचा जा सकता है क्योंकि सुरक्षाबलों में महिलाओं की भागीदारी सुरक्षाबलों द्वारा निर्मित रणनीति में लैंगिकता के दृष्टिकोण को ज्यादा स्पष्ट तौर पर रख सकती है। ''चूंकि संघर्ष के दौरान राज्य की भूमिका सुरक्षात्मक नीतियों एवं रणनीतिक उपायों का केन्द्रीय मुद्दा होती है।'' ऐसे में संघर्ष में महिलाओं एवं उनके मानवाधिकारों की सहज ही अनदेखी होती है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि राज्य द्वारा सुरक्षा नीतियों एवं मानव सुरक्षा में सामंजस्य तथा संतुलन के द्वारा रणनीतिक एवं सुरक्षात्मक उपायों को मानवीय स्वरूप प्रदान किया जाए और ऐसा तभी संभव है जब निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं के दृष्टिकोण को भी उचित स्थान मिले।

युद्ध एवं संघर्ष क्षेत्र में लैंगिकता के दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है साथ ही साथ उन कारणों को जाँचने एवं उनका परीक्षण करने की आवश्यकता है जो कि संघर्ष के दौरान महिलाओं को भेद्य बनाती है। इस क्रम में 31 अक्टूबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा स्वीकार किए गए महिला, शांति एवं सुरक्षा सम्बन्धी संकल्प 1325 महिलाओं की सुरक्षा एवं शांति निर्माण की प्रक्रिया में एक सशक्त कदम है जिसमें संघर्ष से सुरक्षा एवं संघर्ष के समाधान, शांतिवार्ता एवं संघर्ष के बाद पुर्ननिर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी एवं पूर्ण सक्रिय भागीदारी सभी स्तरों पर शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं बनाए रखने की आवश्यकता है।

महिलाओं द्वारा राजनीति में अप्रभावी भूमिका के संदर्भ में हमें राज्य की भूमिका को अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि आज भी अंर्तराष्ट्रीय और राजनीति क्रिया कलापों में 'राज्य' एक महत्वपूर्णकर्ता है और नारीवादी चिंतकों का हमेशा से यह आरोप रहा है कि राज्य की स्थापना का आधार ही पितृसत्ता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 1325 सशस्त्र संघर्ष की विभीषिका झेल रही महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की भावना से परीपूर्ण है। यह प्रस्ताव महिलाओं को केन्द्र में रखकर निर्मित किया गया है जिससे उन्हें सशक्त रूप से अपनी आवाज़ उठाने और अपने भविष्य के निर्माण में भागीदारी का अवसर मिले।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आबादी में उनकी हिस्सेदारी लगभग आधी है बल्कि हमें महिलाओं की आवश्यकता राजनीति में इसलिए है क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग होता है और इस दृष्टिकोण की समाज को आवश्यकता है।

## EndNote


1. Shekhawat Seema, ***Gender, Conflict and Peace in kashmir Invisible stakeholders,*** CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Delhi, 2014, P-07
2. Srivastava Garima, ***Deh He Desh : Croatia Pravas Diary,*** Rajpal, 2017, P-10
3. Ibid, P-11
4. Thakur Seema, ***Women, Peace and Security : Implementation of the UNSCR 1325 In South Asia,*** Regal Publication, 2015, New Delhi, P-9
5. ibid P-10
6. https://www.***ictjorg/ICTJ-Nepal-Across-lines:*** P-19 (Accessed 20/07/2018)
7. Thakur Seema, ***Women, Peace and Security : Implementation of the UNSCR 1325 In South Asia,*** Regal Publication, 2015, New Delhi, P-147
8. ibid, P-10
9. ibid, P-11
10. ibid, P-149
11. https://southasiajournal. net/***conflict-and-Women-a-study-of-kashmir-valley*** (Accessed on 17/02/2018)
12. ibid
13. Shekhawat Seema, ***Gender, Conflict and Peace in kashmir Invisible stakeholders,*** CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Delhi, 2014, P-07
14. Manchanda Rita,(Ed.), ***Women and Politics of Peace: South Asia Narratives on Militarization, Power and Justice,*** Sage Publication, 2017, New Delhi, P-18

## संदर्भ सूची ;ठपइपसवहतंचीलद्ध


- Bloom Mia, Bombshell: ***Women and Terrorism,*** University of Pennsylvania Press, 2012.
- Butalia Urvashi, (E.d.) ***Speaking Peace : Women's Voices From Kashmir,*** Kali for Women, 2002, New Delhi.
- Davis Jessica, ***Women In Modern terrorism,*** Rowman, Littlefield, 2017.
- Gonzalez M-Perez, ***Women and Terrorism,*** Routledge, 2008, New York.
- Hans Asha, Rajagpalan Swarna, (E.d.) ***Openings for Peace: UNSCR 1325 Women and Security In India,*** Sage Puliccation, 2016, New Delhi.
- Hurman Christopher C, ***Terrorism Today,*** Frank Cass, 2000.
- Manchanda Rita, (E.d.) ***Women and Politics of Peace: South Asia Narreatives On Militarization, Power, and Justice,*** Sage Publication, 2017, New Delhi.
- Murthy Laxmi, and Varma Mitu, (E.d.) ***Garrisoned Minds: Women and Armed Conflict in South Asia,*** Tiger Publication.
- Ness Cinely D, ***Female Terrorism and Militancy,*** Routledge, 2007, New York.
- Radunovice S.B., Rajan V.G. Julice, ***Myth and Violence in the Contemporary Female text,*** Ashgate Publishing, 2011.
- Rejan V.G. Julie, ***Women Suicide Bombers: Narrutives of Violence,*** Routledge, 2011, New York.
- Shekhawat Seema, ***Gender, Conflict and Peace in Kashmir: Invisible Stakeholders,*** Cambridge University Press, 2014, Delhi.
- Sjoberg Laura, ***Gender, War and Conflict,*** John Wiley & Sons, 2014.
- Sjoberg Laura & Gentry E. Caron, (E.d.) ***Women, gender and Terrorism,*** The University of Georgia Press, 2011, Georgia.
- Srivastava Garima, ***Deh He Desh : Croatia Pravas Diary,*** Rajpal, 2017, New Delhi.
- Thakur Seema, ***Women, Peace and Security : Implementation of the UNSCR 1325 In South Asia,*** Regal Publication, 2015, New Delhi.